प्रेस नोट
दिनांक 08.02.2024

आज दिनांक 08.02.2023 को नवागत अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार रावत द्वारा जनपद गोण्डा के अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पद का पदभार ग्रहण किया गया–

गोण्डा। नवागत अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार रावत ने गुरूवार अपराह्न पुलिस कार्यालय पहुॅचकर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पद का कार्यभार ग्रहण किया। उनके आगमन पर राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। श्री मनोज कुमार रावत मूल रूप से राजस्थान राज्य के जनपद जयपुर के निवासी है जो 2020 बैच के आई0पी0एस0 अधिकारी है इनके द्वारा राजनीतिशास्त्र में परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की गयी है। महोदय द्वारा पूर्व में जनपद बुलन्दशहर में बतौर अपर पुलिस अधीक्षक सेवाएं दी गई है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.02.2024

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 8.02.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थो की तस्करी करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 माह कारावास व रूपए 7,200/– के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थो की तस्करी करने के आरोपी अभियुक्त रमेश उर्फ मुन्ना को 07 माह का कारावास व रु0 7,200/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा दिनांक 08.06.2023 को 100 अदद नशीली टेबलेट (अल्प्रासेफ) के साथ अभियुक्त रमेश उर्फ मुन्ना को तिरंगा मार्केट के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट कोर्ट ने 07 माह का कारावास व रू 7,200/– के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. रमेश उर्फ मुन्ना पुत्र बिहारी नि0 पटेलनगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–444/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 8.02.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैरइरादतन हत्या करने के 05 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07–07 साल का कारावास व रूपए 33–33 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैरइरादतन हत्या करने के 05 आरोपी अभियुक्तों–01. शनि, 02. आशोक, 03. रामबृज, 04. गुड्डू, 05. रमेश पण्डित को 07–07 साल का कारावास व 33–33 हजार रूपये_के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या करने के आरोप में 05 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री घनश्याम पाण्डेय, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार का0 विश्वास कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष–04 ने 07–07 साल का कारावास व 33–33 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता–
01. शनि पुत्र सन्तराम नि0 खैरा मंशापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अशोक पुत्र विश्वास उर्फ घूरे नि0 खैरा मंशापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. रामबृज पुत्र तिलकराम नि0 खैरा मंशापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. गुड्डू पुत्र सन्तराम नि0 खैरा मंशापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
05. रमेश पण्डित पुत्र सन्तराम नि0 खैरा मंशापुरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–354/2017, धारा 147,148,304,323,325,504,506,34 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 08.02.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त थानों में चलाया गया शस्त्रों व दंगा नियंत्रण उपकरणों का साफ–सफाई अभियानः–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को शस्त्रों व दंगा नियंत्रण उपकरणों की साफ–सफाई कराने हेतु निर्देशित किया गया था। महोदय के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों के पुलिस कर्मियों द्वारा माल खाने में रखे समस्त शस्त्रों व दंगा नियंत्रण उपकरणों की साफ–सफाई की गयी तथा लाउडहेलरों में बैट्री लगाकर चेक किया गया तथा सरकारी समानों का जी0पी0 रजिस्टर से मिलान किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 08.02.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा कें निर्देशन में समस्त थानों में की गयी पीस कमेटी की बैठक–

जुम्में की नमाज व मौनी आमवस्या पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु धर्म गुरूओं व संभ्रान्त व्यक्तियों से की गयी अपील–

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा गूगल मीट के माध्यम से जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को अपने–अपने थाना क्षेत्र के धर्म गुरूओं/संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर जुम्में की नमाज व मौनी अमावस्या पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था। महोदय के आदेशानुसार आज दिनांक 08.02.2023 को जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों के धर्म गुरूओं/संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक शासन द्वारा जारी गाइडलाइनों व निर्गत आदेशों से अवगत कराया गया तथा जुम्में की नमाज व मौनी आमवस्या पर्व को सकुशल सम्पन्न करवाएं जाने हेतु अपील की गयी सभी धर्म गुरूओं/संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा कानून व्यवस्था में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।